भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3060
दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

3060. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ सहित बिजली की मांग और बिजली की कटौती का जनवरी से जून, 2026 तक राज्य-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जलवायु परिवर्तन के कारण लू की बढ़ती अवधि, बारंबारता और तीव्रता को ध्यान में रखते हुए विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अत्यधिक बिजली की मांग और बिजली कटौती दर्ज करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 548.86 गीगावाट (जून 2026 तक) है। देश ने अप्रैल 2014 से अब तक 324.7 गीगावाट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता में बदल गया है।

इस वर्ष अल नीनो के प्रभाव के कारण विद्युत की आवश्यकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विद्युत की अधिकतम मांग में लगभग 12% की वृद्धि हुई। वर्तमान स्थिति के अनुसार, मई 2026 और जुलाई 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर 270.8 गीगावाट की सर्वकालिक अधिकतम मांग सफलतापूर्वक पूरी की गई। जनवरी 2026 से जून 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार और माहवार ऊर्जा आपूर्ति स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** पर है। आपूर्ति की गई ऊर्जा, ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप रही है, जिसमें केवल मामूली अंतर है जो सामान्यत: राज्य के पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है।

जलवायु परिवर्तन के कारण लू की अवधि, आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. **उत्पादन और भंडारण आयोजना:**

(i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित मांग से अधिक रहे, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो गतिशील 10-वर्षीय रोलिंग योजनाएं हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय आयोजना भी शामिल है।

(ii) सभी राज्यों को सलाह दी गई कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताएं बनाने/अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू करें।

(iii) विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए**,** भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है:

(क) तापीय क्षमता में वृद्धि: वर्ष 2035-36 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता दिनांक 31.03.2023 तक 2,11,855 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की तुलना में लगभग 3,15,000 मेगावाट अनुमानित है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 1,05,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

तदनुसार, अप्रैल 2023 से दिनांक 30.06.2026 तक लगभग 21,080 मेगावाट की तापीय क्षमताएं कमीशन की गई हैं। इसके अलावा, वर्तमान में 47,545 मेगावाट की तापीय क्षमता (4,845 मेगावाट की संकटग्रस्त तापीय विद्युत परियोजनाओं सहित) निर्माणाधीन है। 16,000 मेगावाट के अनुबंध अवार्ड किए गए हैं और निर्माण किया जाना बाकी है।

(ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 2026-27 से 2031-32 की अवधि के दौरान लगभग 16,448 मेगावाट की जलविद्युत क्षमता वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसमें से, दिनांक 30.06.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 400 मेगावाट कमीशन किया जा चुका है तथा 12,973 मेगावाट वर्तमान में निर्माणाधीन है।

(ग) न्यूक्लियर क्षमता संवर्धन: 8000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2031-32 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 5600 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) नवीकरणीय क्षमता संवर्धन: 119,580 मेगावाट सौर (हाइब्रिड-सौर सहित) तथा 27,720 मेगावाट पवन (हाइब्रिड-पवन सहित) सहित 1,47,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 44,440 मेगावाट सौर क्षमता सहित 47,830 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2029-30 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का संवर्धन: दिनांक 30.06.2026 तक, 15,870 मेगावाट/95,220 एमडब्ल्यूएच पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 एमडबल्यूएच क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) की स्वीकृति दी गई है और अभी निर्माण शुरू किया जाना है। दिनांक 30.06.2026 तक, 15,754 मेगावाट/42,530 एमडबल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन है, 11,747 मेगावाट/38,425 एमडबल्यूएच अवार्ड की गई है और 19,192 मेगावाट/67,574 एमडबल्यूएच बीईएसएस क्षमता निविदा चरण में है।

2. नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन को बढ़ावा देना:

(i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवार्ड होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों की 100% छूट दी गई है।

(ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर रही हैं।

(iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(v) तीव्र आरई ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना के संवर्धन हेतु, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।

(vi) नवीकरणीय विद्युत की निकासी हेतु हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के अंतर्गत नई अंत: राज्यीय पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।

(vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना हेतु आरई विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।

(viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय एवं पीवीटीजीआबादी/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।

(ix) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रेजेक्टरी को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। आरसीओ, जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू होता है, का अनुपालन न करने पर शास्ति लगेगी।

(x) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति" जारी की गई है।

(xi) एक्सचेंजों के माध्यम से आरई की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च की गई है।

(xii) सौर पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की गई है।

3. पारेषण:

अंतर्राज्यीय और अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता वृद्धि के समतुल्य समय सीमा में इसका कार्यान्वयन किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार,वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए अंतरण क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पारेषण लाइनों के लिए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के मुआवजे के भुगतान के संबंध में दिनांक 14.06.2024, 21.03.2025 और 15.12.2025 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें भूमि दर को प्रचलित बाजार दर से जोड़ा गया है। ये दिशानिर्देश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में अधिक मुआवजे की मांग करने वाले भूस्वामियों से उत्पन्न होने वाली आरओडब्ल्यू संबंधी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करते हैं।

4. वितरण:

भारत सरकार ने गुणवत्ता और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए पहले दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता किया है।

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के उद्देश्य से जुलाई 2021 में आरडीएसएस की शुरुआत की है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है। स्कीम के तहत, वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र की यूटिलिटी को छोड़कर) को हानि न्यूनीकरण संबंधी अवसंरचना कार्यों और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। स्कीम के तहत हानि कम करने वाली अवसंरचना के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत वितरण यूटिलिटी को उनके सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में सुधार करने में सहायता करने के लिए, आरडीएसएस के अलावा प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं:

i. राज्यों द्वारा विद्युत क्षेत्र में विशिष्ट सुधार करने की शर्त पर राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5% अतिरिक्त ऋण की अनुमति।

ii. निर्धारित शर्तों के तहत विद्युत वितरण यूटिलिटी के निष्पादन के आधार पर राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड।

iii. ईंधन और विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और लागत प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत की आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें शामिल की गई हैं।

iv. उचित सब्सिडी लेखांकन और उनके समय पर भुगतान के लिए नियम और मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सघन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे वित्त वर्ष 14 में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 22.6 घंटे हो गए हैं और शहरी क्षेत्रों में भी यह वित्त वर्ष 14 में 22.1 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में 23.4 घंटे हो गए हैं।

5. ग्रिड आवृत्ति:

(i) भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार, आपातकालीन स्थितियों में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को प्राथमिक और द्वितीयक आवृत्ति नियंत्रण में भाग लेना अनिवार्य है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तनशीलता को कम करने और ग्रिड को पर्याप्त आवृत्ति सहायता प्रदान करने के लिए हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) जैसी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की सगमता के लिए ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के माध्यम से 43 गीगावाट घंटा क्षमता वाली बीईएसएस के विकास की परिकल्पना की गई है।

(ii) ऑटोमैटिक जनरेशन कंट्रोल (एजीसी) का उपयोग एजीसी-सक्षम विद्युत संयंत्रों को हर चार (04) सेकंड में सेकेंडरी रिजर्व एंसिलरी सर्विसेज (एसआरएएस) अप या डाउन सिग्नल भेजकर आवृत्ति स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है।

(iii) वास्तविक समय में मांग-आपूर्ति असंतुलन को दूर करने के लिए बाजार आधारित टर्शियरी रिजर्व एंसिलरी सर्विसेज (टीआरएएस)।

(iv) उच्च रैंप दर वाले जनरेटर (जैसे हाइड्रो या गैस) को भी लोड उत्पादन संतुलन बनाए रखने के लिए इष्टतम रूप से निर्धारित किया जाता है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3060

अनुबंध-I (1/6)

ऊर्जा के संदर्भ में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	जनवरी, 2026			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	149	149	0	0.0
दिल्ली	2,803	2,803	0	0.0
हरियाणा	5,179	5,179	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,231	1,227	4	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	1,966	1,961	5	0.3
पंजाब	5,145	5,127	18	0.3
राजस्थान	10,299	10,299	0	0.0
उत्तर प्रदेश	12,145	12,145	0	0.0
उत्तराखंड	1,450	1,446	4	0.3
उत्तरी क्षेत्र	**40,497**	**40,465**	**32**	**0.1**
छत्तीसगढ	**3,466**	**3,466**	**0**	**0.0**
गुजरात	13,088	13,088	0	0.0
मध्य प्रदेश	10,599	10,597	2	0.0
महाराष्ट्र	17,544	17,544	0	0.0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	933	933	0	0.0
गोवा	442	442	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**47,226**	**47,225**	**1**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	6,787	6,787	0	0.0
तेलंगाना	8,197	8,197	0	0.0
कर्नाटक	9,033	9,033	0	0.0
केरल	2,610	2,610	0	0.0
तमिलनाडु	10,099	10,099	0	0.0
पुदुचेरी	256	256	0	0.0
लक्षद्वीप (#)	6	6	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**36,985**	**36,985**	**0**	**0.0**
बिहार	3,455	3,454	1	0.0
डीवीसी	2,113	2,113	0	0.0
झारखंड	1,270	1,270	0	0.0
ओडिशा	3,226	3,225	1	0.0
पश्चिम बंगाल	5,091	5,060	31	0.6
सिक्किम	62	62	0	0.0
अंडमान- निकोबार	36	35	1	2.8
पूर्वी क्षेत्र	**15,222**	**15,189**	**33**	**0.2**
अरुणाचल प्रदेश	98	98	0	0.0
असम	902	902	0	0.0
मणिपुर	114	114	0	0.0
मेघालय	199	199	0	0.0
मिजोरम	70	70	0	0.0
नागालैंड	77	77	0	0.0
त्रिपुरा	131	131	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,592**	**1,592**	**0**	**0.0**
अखिल भारत	**1,41,522**	**1,41,455**	**67**	**0.0**

लो.स.अतारां.प्र.सं.-3060

अनुबंध-I (2/6)

ऊर्जा के संदर्भ में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	फरवरी, 2026			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	106	106	0	0.0
दिल्ली	2,214	2,213	1	0.0
हरियाणा	4,584	4,584	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,039	1,036	3	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	1,661	1,660	1	0.1
पंजाब	4,591	4,578	13	0.3
राजस्थान	9,125	9,125	0	0.0
उत्तर प्रदेश	10,099	10,099	0	0.0
उत्तराखंड	1,210	1,209	1	0.1
उत्तरी क्षेत्र	**34,737**	**34,719**	**18**	**0.1**
छत्तीसगढ	**3,578**	**3,578**	**0**	**0.0**
गुजरात	12,518	12,518	0	0.0
मध्य प्रदेश	9,211	9,209	2	0.0
महाराष्ट्र	17,063	17,063	0	0.0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	879	879	0	0.0
गोवा	415	415	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**44,789**	**44,787**	**2**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	6,780	6,779	1	0.0
तेलंगाना	8,032	8,031	1	0.0
कर्नाटक	8,939	8,938	1	0.0
केरल	2,540	2,539	1	0.0
तमिलनाडु	10,163	10,161	2	0.0
पुदुचेरी	254	254	0	0.0
लक्षद्वीप	6	6	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**36,711**	**36,706**	**5**	**0.0**
बिहार	3,002	3,002	0	0.0
डीवीसी	1,929	1,928	1	0.1
झारखंड	1,116	1,116	0	0.0
ओडिशा	3,201	3,200	1	0.0
पश्चिम बंगाल	4,907	4,907	0	0.0
सिक्किम	56	56	0	0.0
अंडमान- निकोबार	34	34	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	**14,217**	**14,215**	**2**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	90	90	0	0.0
असम	835	835	0	0.0
मणिपुर	104	104	0	0.0
मेघालय	176	176	0	0.0
मिजोरम	63	63	0	0.0
नागालैंड	73	73	0	0.0
त्रिपुरा	115	115	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,458**	**1,457**	**1**	**0.1**
अखिल भारत	**1,31,911**	**1,31,883**	**28**	**0.0**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3060

अनुबंध-I (3/6)

ऊर्जा के संदर्भ में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	मार्च, 2026			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	115	115	0	0.0
दिल्ली	2,533	2,533	0	0.0
हरियाणा	4,798	4,797	1	0.0
हिमाचल प्रदेश	1,042	1,039	3	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश	1,685	1,682	3	0.2
पंजाब	4,846	4,818	28	0.6
राजस्थान	8,470	8,470	0	0.0
उत्तर प्रदेश	11,927	11,927	0	0.0
उत्तराखंड	1,247	1,238	9	0.7
उत्तरी क्षेत्र	**36,812**	**36,767**	**45**	**0.1**
छत्तीसगढ	**4,387**	**4,387**	**0**	**0.0**
गुजरात	13,619	13,619	0	0.0
मध्य प्रदेश	8,822	8,817	5	0.1
महाराष्ट्र	19,412	19,408	4	0.0
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	931	931	0	0.0
गोवा	506	506	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**48,918**	**48,908**	**10**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	8,095	8,095	0	0.0
तेलंगाना	9,983	9,983	0	0.0
कर्नाटक	10,272	10,272	0	0.0
केरल	3,059	3,059	0	0.0
तमिलनाडु	12,166	12,166	0	0.0
पुदुचेरी	306	306	0	0.0
लक्षद्वीप	7	7	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**43,885**	**43,885**	**0**	**0.0**
बिहार	3,689	3,689	0	0.0
डीवीसी	2,119	2,119	0	0.0
झारखंड	1,314	1,314	0	0.0
ओडिशा	3,709	3,709	0	0.0
पश्चिम बंगाल	6,094	6,094	0	0.0
सिक्किम	54	54	0	0.0
अंडमान- निकोबार	34	34	0	0.0
पूर्वी क्षेत्र	**16,985**	**16,985**	**0**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	97	97	0	0.0
असम	905	905	0	0.0
मणिपुर	97	97	0	0.0
मेघालय	178	178	0	0.0
मिजोरम	63	63	0	0.0
नागालैंड	74	74	0	0.0
त्रिपुरा	133	133	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,547**	**1,547**	**0**	**0.0**
अखिल भारत	**1,48,147**	**1,48,093**	**54**	**0.0**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3060

अनुबंध-I (4/6)

ऊर्जा के संदर्भ में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2026			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	138	138	0	0.0
दिल्ली	3,188	3,187	1	0.0
हरियाणा	5,314	5,292	22	0.4
हिमाचल प्रदेश	924	921	3	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	1,548	1,544	4	0.3
पंजाब	5,249	5,140	109	2.1
राजस्थान	7,862	7,862	0	0.0
उत्तर प्रदेश	13,779	13,776	3	0.0
उत्तराखंड	1,337	1,310	27	2.0
उत्तरी क्षेत्र	**39,473**	**39,306**	**167**	**0.4**
छत्तीसगढ	**4,653**	**4,642**	**11**	**0.2**
गुजरात	14,049	14,049	0	0.0
मध्य प्रदेश	8,841	8,841	0	0.0
महाराष्ट्र	18,933	18,923	10	0.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	843	843	0	0.0
गोवा	525	525	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**49,140**	**49,119**	**21**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	8,126	8,126	0	0.0
तेलंगाना	8,714	8,713	1	0.0
कर्नाटक	10,441	10,427	14	0.1
केरल	3,256	3,250	6	0.2
तमिलनाडु	12,849	12,849	0	0.0
पुदुचेरी	326	326	0	0.0
लक्षद्वीप	7	7	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**43,717**	**43,696**	**21**	**0.0**
बिहार	4,289	4,288	1	0.0
डीवीसी	2,114	2,114	0	0.0
झारखंड	1,388	1,387	1	0.1
ओडिशा	4,231	4,231	0	0.0
पश्चिम बंगाल	6,954	6,953	1	0.0
सिक्किम	49	49	0	0.0
अंडमान- निकोबार	40	39	1	2.5
पूर्वी क्षेत्र	**19,029**	**19,028**	**1**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	88	88	0	0.0
असम	955	952	3	0.3
मणिपुर	94	94	0	0.0
मेघालय	167	167	0	0.0
मिजोरम	60	60	0	0.0
नागालैंड	77	77	0	0.0
त्रिपुरा	156	156	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,597**	**1,594**	**3**	**0.2**
अखिल भारत	**1,52,956**	**1,52,743**	**213**	**0.1**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3060

अनुबंध-I (5/6)

ऊर्जा के संदर्भ में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	मई, 2026			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं की गई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	194	194	0	0.0
दिल्ली	4,215	4,214	1	0.0
हरियाणा	6,964	6,924	40	0.6
हिमाचल प्रदेश	1,070	1,068	2	0.2
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	1,637	1,626	11	0.7
पंजाब	7,134	7,106	28	0.4
राजस्थान	9,930	9,930	0	0.0
उत्तर प्रदेश	16,815	16,808	7	0.0
उत्तराखंड	1,545	1,544	1	0.1
उत्तरी क्षेत्र	**49,649**	**49,557**	**92**	**0.2**
छत्तीसगढ	**4,045**	**4,044**	**1**	**0.0**
गुजरात	15,519	15,482	37	0.2
मध्य प्रदेश	9,670	9,643	27	0.3
महाराष्ट्र	20,235	20,102	133	0.7
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	892	892	0	0.0
गोवा	535	535	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**52,228**	**52,029**	**199**	**0.4**
आंध्र प्रदेश	8,142	8,142	0	0.0
तेलंगाना	7,320	7,319	1	0.0
कर्नाटक	9,198	9,198	0	0.0
केरल	3,023	3,021	2	0.1
तमिलनाडु	12,411	12,410	1	0.0
पुदुचेरी	335	335	0	0.0
लक्षद्वीप	7	7	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**40,434**	**40,430**	**4**	**0.0**
बिहार	4,523	4,523	0	0.0
डीवीसी	2,098	2,098	0	0.0
झारखंड	1,494	1,494	0	0.0
ओडिशा	4,390	4,389	1	0.0
पश्चिम बंगाल	7,131	7,129	2	0.0
सिक्किम	43	43	0	0.0
अंडमान- निकोबार	40	39	1	2.5
पूर्वी क्षेत्र	**19,686**	**19,683**	**3**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	94	94	0	0.0
असम	1,173	1,170	3	0.3
मणिपुर	105	105	0	0.0
मेघालय	181	181	0	0.0
मिजोरम	62	62	0	0.0
नागालैंड	90	90	0	0.0
त्रिपुरा	158	158	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**1,864**	**1,862**	**2**	**0.1**
अखिल भारत	**1,63,861**	**1,63,561**	**300**	**0.2**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3060

अनुबंध-I (6/6)

ऊर्जा के संदर्भ में राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण:

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	जून 2026 (अनंतिम)			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	ऊर्जा की आपूर्ति नहीं की गई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	214	214	0	0.0
दिल्ली	4,340	4,339	1	0.0
हरियाणा	7,697	7,665	32	0.4
हिमाचल प्रदेश	1,138	1,136	2	0.2
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	1,584	1,569	15	0.9
पंजाब	9,123	9,082	41	0.4
राजस्थान	9,764	9,764	0	0.0
उत्तर प्रदेश	18,816	18,816	0	0.0
उत्तराखंड	1,689	1,685	4	0.2
उत्तरी क्षेत्र	**54,562**	**54,466**	**96**	**0.2**
छत्तीसगढ	**3,792**	**3,788**	**4**	**0.1**
गुजरात	16,543	16,543	0	0.0
मध्य प्रदेश	8,400	8,400	0	0.0
महाराष्ट्र	19,371	19,349	22	0.1
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	948	948	0	0.0
गोवा	473	473	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**50,630**	**50,604**	**26**	**0.1**
आंध्र प्रदेश	7,540	7,537	3	0.0
तेलंगाना	7,098	7,095	3	0.0
कर्नाटक	8,363	8,360	3	0.0
केरल	2,618	2,610	8	0.3
तमिलनाडु	12,213	12,209	4	0.0
पुदुचेरी	341	341	0	0.0
लक्षद्वीप	6	6	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**38,176**	**38,156**	**20**	**0.1**
बिहार	5,324	5,307	17	0.3
डीवीसी	2,122	2,122	0	0.0
झारखंड	1,549	1,548	1	0.1
ओडिशा	4,249	4,248	1	0.0
पश्चिम बंगाल	7,513	7,511	2	0.0
सिक्किम	41	41	0	0.0
अंडमान- निकोबार	40	39	1	2.5
पूर्वी क्षेत्र	**20,805**	**20,783**	**22**	**0.1**
अरुणाचल प्रदेश	102	102	0	0.0
असम	1,403	1,399	4	0.3
मणिपुर	103	103	0	0.0
मेघालय	183	183	0	0.0
मिजोरम	61	61	0	0.0
नागालैंड	97	97	0	0.0
त्रिपुरा	177	177	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**2,127**	**2,123**	**4**	**0.2**
अखिल भारत	**1,66,300**	**1,66,131**	**169**	**0.1**
